बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय : **राज्य योजना मद से फसल विविधीकरण योजना के अधीन विशेष बागवानी फसलों आँवला, एप्पल बेर, नींबू तथा अमरूद के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों के लिए कुल 1400.00 लाख (चौदह करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य योजना मद से फसल विविधीकरण योजना के अधीन विशेष बागवानी फसलों आँवला, एप्पल बेर, नींबू तथा अमरूद के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों के लिए कुल 1400.00 लाख (चौदह करोड़) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में फसल विविधीकरण अन्तर्गत विशेष बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु किसानों को अनुदान देकर उनकी आय में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल पद्धति विकास के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करना है। शुष्क बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार से अव्यवहृत भूमि का सदुपयोग हो पायेगा एवं हरित आवरण में बढ़ोत्तरी होगी। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

3. इस योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार एवं जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता ई–निविदा के द्वारा चयनित योग्य एजेंसी के माध्यम से LCBS के आधार पर प्राप्त L1 के दर पर कराया जायेगा।

6. **विशेष बागवानी फसलों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान** :– इस घटक के अधीन चयनित फसल आँवला, एप्पल बेर, नींबू एवं अमरूद है। इसके अन्तर्गत विशेष बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रति हेक्टेयर कुल लागत प्रति हे० 1.00 (एक) लाख रूपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/– (पचास हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा, जो दो किस्तों 60:40 के

अनुपात में प्रथम वर्ष 30,000/— (तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय वर्ष 20,000/— (बीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।

7. द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के स्तर से सत्यापन के पश्चात् प्रथम वर्ष में लगाये गये पौधों में से 75 प्रतिशत उत्तरजीविता पाये जाने के उपरांत ही किया जायेगा। फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम से संबंधित जिलावार/फसलवार विस्तृत विवरणी अनुसूची—2 के रूप में संलग्न है।

8. विशेष बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति लाभार्थी न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए लाभ दिया जायेगा।

9. **आवेदकों का चयन** :—इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा। योजना अन्तर्गत कृषकों के द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आलोक में "पहले आओ— पहले पाओ" के आधार पर चयन किया जायेगा।

10. विशेष बागवानी **फसलों** के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लाभुक कृषकों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

11. संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा—फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे। पौधे वितरण एवं मेड़/खेत में लगे पौधों का Geotagged photography करना आवश्यक होगा।

12. इस योजना हेतु 33—01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31—06 सहायक अनुदान — गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33—01 सब्सिडी, 28—02 संविदा सेवाएं मद एवं 13—01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी —सह— उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33—01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

13. योजनान्तर्गत 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार लाभुकों का चयन किया जायेगा। सभी कोटियों में न्यूनतम 30% महिला कृषकों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

14. योजना कार्यान्वयन संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

15. निदेशक उद्यान, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

16. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची—03 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS के विहित रीति से वित्त विभागीय पत्रांक—2561 दिनांक—17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

17. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर आवश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्तन किया जा सकेगा।

18. वितीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-3301 सब्सिडी।	19084.491	659.7113
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-3301 सब्सिडी।	4860.00	168.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-3301 सब्सिडी।	355.509	12.2887
कुल	**24300.00**	**840.0000**

उद्यान निदेशालय का पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएँ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। अतः अगले अनुपूरक आगणन के पश्चात उक्त विषयशीर्ष में उपबंधित राशि की प्राप्ति होने के पश्चात ही योजना अन्तर्गत राशि की निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 19.05.2025 को सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/04/2025 के पृ0सं0–14/टि0 पर दिनांक–26.05.2025 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/SS/04/2025 के पृष्ठ संख्या–16/टि० पर दिनांक–27.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–366 दिनांक–27.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

27/5

(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Crop Diversification (840.00).doc

ज्ञापांक :– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05 2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– DoH/SS/04/2025– 45 /पटना दिनांक 27.05. 2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mrnal Sastri Sir (Gaurav)\Crop Diversification (840.00).doc

अनुसूची :— 1

राज्य योजना मद से फसल विविधीकरण योजना के अधीन विशेष बागवानी फसलों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2025—26 से 2026—27 तक दो वर्षों की कार्य योजना

(भौतिक — हेक्टेयर में, वित्तीय — लाख रूपये में)

क्र० सं०	घटक	अनुदान की राशि (लाख रूपये / हे०)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025—26) देय आनुदान का 60%	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026—27) देय अनुदान का 40%	कुल वित्तीय लक्ष्य	कार्यान्वयन का समय
1	**शुष्क बागवानी फसलों का प्रोत्साहन (60:40)**						
i.	आँवला (400 पौधा / हे०)	0.500	500	150.00	100.00	250.00	जुलाई— सितम्बर
ii.	एप्पल बेर (278 पौधा / हे०)	0.500	700	210.00	140.00	350.00	
iii.	नींबू (555 पौधा / हे०)	0.500	800	240.00	160.00	400.00	
iv.	अमरूद (278 पौधा / हे०)	0.500	800	240.00	160.00	400.00	
	योग		**2800**	**840.00**	**560.00**	**1400.00**	

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना।

अनुसूची :– 2

वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में फसल विविधीकरण योजना के अधीन विशेष बागवानी फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु लक्ष्य की विवरणी

(भौतिक हेक्टेयर में एवं वित्तीय लाख रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	आँवला			एप्पल बेर			नींबू			अमरूद			कुल			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026–27)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026–27)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026–27)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026–27)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (प्रथम वर्ष 2025–26)	वित्तीय लक्ष्य (द्वितीय वर्ष 2026–27)	कुल वित्तीय लक्ष्य (18+19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
1	अरवल	8	2.40	1.60	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	38	11.400	7.600	19.000
2	औरंगाबाद	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	105	31.500	21.000	52.500
3	बांका	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	105	31.500	21.000	52.500
4	भागलपुर	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	35	10.50	7.00	35	10.50	7.00	115	34.500	23.000	57.500
5	भोजपुर	10	3.00	2.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	70	21.000	14.000	35.000
6	बक्सर	10	3.00	2.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	70	21.000	14.000	35.000
7	गया	20	6.00	4.00	35	10.50	7.00	35	10.50	7.00	35	10.50	7.00	125	37.500	25.000	62.500
8	जमुई	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	80	24.000	16.000	40.000
9	जहानाबाद	10	3.00	2.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	70	21.000	14.000	35.000
10	कैमूर	10	3.00	2.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	70	21.000	14.000	35.000
11	लखीसराय	12	3.60	2.40	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	72	21.600	14.400	36.000
12	मुंगेर	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	105	31.500	21.000	52.500
13	नालन्दा	10	3.00	2.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	70	21.000	14.000	35.000
14	नवादा	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	105	31.500	21.000	52.500
15	पटना	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	35	10.50	7.00	35	10.50	7.00	115	34.500	23.000	57.500
16	रोहतास	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	105	31.500	21.000	52.500
17	शेखपुरा	5	1.50	1.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	35	10.500	7.000	17.500
18	अररिया	5	1.50	1.00	7	2.10	1.40	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	42	12.600	8.400	21.000
19	बेगुसराय	15	4.50	3.00	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	25	7.50	5.00	85	25.500	17.000	42.500
20	दरभंगा	8	2.40	1.60	15	4.50	3.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	63	18.900	12.600	31.500
21	पूर्वी चम्पारण	15	4.50	3.00	20	6.00	4.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	95	28.500	19.000	47.500
22	गोपालगंज	10	3.00	2.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	70	21.000	14.000	35.000
23	कटिहार	8	2.40	1.60	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	38	11.400	7.600	19.000
24	खगड़िया	8	2.40	1.60	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	38	11.400	7.600	19.000
25	किशनगंज	5	1.50	1.00	5	1.50	1.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	30	9.000	6.000	15.000
26	मधेपुरा	10	3.00	2.00	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	55	16.500	11.000	27.500
27	मधुबनी	8	2.40	1.60	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	53	15.900	10.600	26.500
28	मुजफ्फरपुर	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	105	31.500	21.000	52.500
29	पूर्णिया	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	25	7.50	5.00	25	7.50	5.00	90	27.000	18.000	45.000
30	सहरसा	8	2.40	1.60	15	4.50	3.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	63	18.900	12.600	31.500
31	समस्तीपुर	20	6.00	4.00	35	10.50	7.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	115	34.500	23.000	57.500
32	सारण	12	3.60	2.40	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	57	17.100	11.400	28.500
33	शिवहर	5	1.50	1.00	8	2.40	1.60	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	33	9.900	6.600	16.500
34	सीतामढ़ी	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	40	12.000	8.000	20.000
35	सिवान	10	3.00	2.00	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	15	4.50	3.00	55	16.500	11.000	27.500
36	सुपौल	8	2.40	1.60	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	10	3.00	2.00	38	11.400	7.600	19.000
37	वैशाली	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	80	24.000	16.000	40.000
38	पं० चम्पारण	20	6.00	4.00	20	6.00	4.00	30	9.00	6.00	30	9.00	6.00	100	30.000	20.000	50.000
	कुल	500	150.00	100.00	700	210.00	140.00	800	240.00	160.00	800	240.00	160.00	2800	840.00	560	1400.00

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना।

अनुसूची :– 03

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से फसल विविधीकरण योजना के अधीन विशेष बागवानी फसलों के प्रोत्साहन हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

(वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेन्सी/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	8.9532	2.2800	0.1668	11.400
2	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	24.7392	6.3000	0.4608	31.500
3	सहायक निदेशक उद्यान, बांका	24.7392	6.3000	0.4608	31.500
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	27.0953	6.9000	0.5047	34.500
5	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	16.4928	4.2000	0.3072	21.000
6	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	16.4928	4.2000	0.3072	21.000
7	सहायक निदेशक उद्यान, गया	29.4514	7.5000	0.5486	37.500
8	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	18.8489	4.8000	0.3511	24.000
9	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	16.4928	4.2000	0.3072	21.000
10	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर	16.4928	4.2000	0.3072	21.000
11	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	16.9640	4.3200	0.3160	21.600
12	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	24.7392	6.3000	0.4608	31.500
13	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	16.4928	4.2000	0.3072	21.000
14	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	24.7392	6.3000	0.4608	31.500
15	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	27.0953	6.9000	0.5047	34.500
16	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	24.7392	6.3000	0.4608	31.500
17	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	8.2464	2.1000	0.1536	10.500
18	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	9.8957	2.5200	0.1843	12.600
19	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	20.0269	5.1000	0.3731	25.500
20	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	14.8435	3.7800	0.2765	18.900
21	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	22.3830	5.7000	0.4170	28.500
22	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	16.4928	4.2000	0.3072	21.000
23	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	8.9532	2.2800	0.1668	11.400
24	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	8.9532	2.2800	0.1668	11.400
25	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	7.0683	1.8000	0.1317	9.000
26	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	12.9586	3.3000	0.2414	16.500
27	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	12.4874	3.1800	0.2326	15.900
28	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	24.7392	6.3000	0.4608	31.500
29	सहायक निदेशक उद्यान,पूर्णिया	21.2050	5.4000	0.3950	27.000
30	सहायक निदेशक उद्यान,सहरसा	14.8435	3.7800	0.2765	18.900
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	27.0953	6.9000	0.5047	34.500
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	13.4298	3.4200	0.2502	17.100
33	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	7.7752	1.9800	0.1448	9.900
34	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	9.4244	2.4000	0.1756	12.000
35	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	12.9586	3.3000	0.2414	16.500
36	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	8.9532	2.2800	0.1668	11.400
37	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	18.8489	4.8000	0.3511	24.000
38	सहायक निदेशंक उद्यान, पं० चम्पारण	23.5611	6.0000	0.4389	30.000
	कुल	**659.7113**	**168.0000**	**12.2887**	**840.0000**

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना